

किशोर न्याय बोर्ड गुमला की पहल

परिवार परामर्श केंद्र

(विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालकों के लिए जीवन के मुख्य धारा में वापसी का प्रयास)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत विधि का उल्लंघन के लिए अभिकथित या उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों के न्याय निर्णय न की प्रक्रिया में परिवार की सहभागिता, समर्थन विधि द्वारा उपबंधित किए गए हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सिद्धांत एवं नियम 2(31) 3(v)x(iii) (xv)8(3)(क),ख,घ,3 10(i)11,13,18(5)18(2) में किशोर के परिवार माता-पिता संरक्षण की भूमिका सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है।

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष न्याय निर्णय न के दौरान किशोर को प्रिवीक्षा पर छोड़े जाने एवं मामलों का निष्पादन के समय परिवार की भूमिका एवं बच्चों के भविष्य निर्माण में दृष्टिकोण का अभाव प्रतीत होता है। इसके कारण यह महसूस किया गया कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में परिवार को परामर्श और मार्गदर्शन की जरूरत है, ताकि संरक्षक बच्चों के लिए आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक परिवेश को मजबूती प्रदान करने में सक्षम हो सके एवं बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। न्याय निर्णय न की प्रक्रिया में बालकों की ससमय उपस्थिति का कम हो पाती है जिससे न्याय निर्णयन में विलम्ब होता है।

किशोर न्याय बोर्ड यह समझता है कि बालकों के सर्वोत्तम हित के लिए संरक्षक में पालन पोषण कौशल, शारीरिक और भावनात्मक देखभाल, मनोवैज्ञानिक समर्थन, अनुशासन संचार, सकारात्मक महौल, आत्म देखभाल, न्याय प्रक्रिया में सहभागिता के साथ आर्थिक स्वावलंबी होना भी आवश्यक है। तभी किशोर मुख्य धारा में शामिल होकर बेहतर नागरिक बन सकेगा।

इसे सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड ने परिवार परामर्श केंद्र संचालित करने का निर्णय लिया है। केंद्र परिवार को परामर्श और मार्गदर्शन देकर पुनः विधि का उल्लंघन करने से किशोर को रोकने का उपाय समझाएगी। न्याय निर्णय न प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करेगी। उनके परिवार को समृद्ध करने के लिए

केंद्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ सुनिश्चित करेगी। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवा सुनिश्चित करेगी।

किशोर न्याय बोर्ड गुमला के प्रस्ताव पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला श्री ध्रुव चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2025 को संपन्न बैठक में सहमति, मार्गदर्शन के साथ स्वीकृति प्राप्त है।

परिवार परामर्श केंद्र का प्रमुख उद्देश्य

1. किशोर के परिवार से बोर्ड का सीधा संवाद।
2. न्याय निर्णय न में परिवार की भूमिका सुनिश्चित करना।
3. परिवीक्षा अवधि में बच्चों को देख-रेख के बेहतर उपाय सुझाव देना।
4. भावनात्मक सामाजिक और व्यावहारिक समस्याओं में सहयोग।
5. परिवार और बच्चे के बीच संबंध मजबूत करना, एवं पुनर्मिलन।
6. बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करना।
7. परिवार को तनाव से मुक्त होने में सहयोग करना।
8. कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना।
9. समृद्ध परिवार खुशहाल परिवार सुनिश्चित करना।
10. समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना।

परिवार परामर्श केंद्र में सुविधाएं एवं सेवाएं।

1. विधिक सहायता।
2. परिवार परामर्श।
3. केन्द्र राज्य सरकार की योजना की जानकारी।
4. संप्रेक्षण गृह और किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही की जानकारी।
5. सुनवाई के दौरान विधिक सहायता।
6. संरक्षण और देखभाल के जरूरतमंद बच्चों के लिए मार्गदर्शन।
7. शिक्षा से जोड़ने का परामर्श।
8. परिवार के लिए जिला अधिकारियों से सम्पर्क/संवाद/समाधान।

परिवार परामर्श केन्द्र की जिम्मेवारी

- 1.विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी ।
- 2.अधीक्षक, संप्रेक्षण गृह गुमला ।
- 3.परिवीक्षा पदाधिकारी/ बाल कल्याण पदाधिकारी ।
- 4.शिक्षक
- 5.परामर्शी (बाल संरक्षण इकाई/ संप्रेक्षण गृह गुमला) ।
- 6.प्राचीन लीगल वोलिंटियर विधिक सेवा प्राधिकार गुमला ।
7. संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखभाल/ गैर संस्थागत देखभाल ।
- 8.बोर्ड के निर्देश पर जुड़ने वाले अधिकारी ।
- 9.कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर किशोर न्याय बोर्ड ।

परिवार परामर्श का दिवस

- 1.संप्रेक्षण गृह में मुलाकात दिवस प्रत्येक शनिवार ।
- 2.बोर्ड के निर्देश पर तय समय ।
- 3.कार्य दिवस पर उपस्थित अधिकारी ।